



e-ISSN:2582 - 7219



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 12, December 2021



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 5.928



9710 583 466



9710 583 466



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com



भारत में बदलता फसल प्रारूप और उसके आर्थिक प्रभाव

Kanhaiya Lal Meena

Assistant Professor, Department of Economics, SPNKS Govt. PG College, Dausa, Rajasthan, India

सार

किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र के फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन की संभावना के विषय में दो मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि सुविचारित नीति के सहारे इसे बदला जा सकता है। वसु केडी ने यह मत व्यक्त किया है “परंपराबद्ध तथा ज्ञान के अत्यंत निम्न स्तर वाले देश के कृषक प्रयोग करने की उद्यत नहीं होते हैं, वे प्रत्येक बात को विरक्ति और भाग्यवाद की भावना से स्वीकार करते हैं, उनके लिये कृषि वाणिज्य, व्यापार की वस्तु न होकर जीवन की एक प्रणाली है एक ऐसे कृषि प्रधान समाज में जिसके सदस्य परंपराबद्ध और अशिक्षित हैं, फसल में परिवर्तन की अधिक संभावना नहीं रहती है।” मिट्टी तथा जलवायु के अतिरिक्त किसी क्षेत्र की फसलों के प्रतिरूप पर सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता का भी प्रभाव पड़ता है। अनेक व्यवहारिक अध्ययनों से फसलों की कीमत तथा उनके ढाँचे में परस्पर संबंध स्थापित होता है। डा. बंसल पीसी ने ‘कीमत समता अनुपात’ की गतियों और गन्ने की अखिल भारतीय क्षेत्रफल में परिवर्तन के बीच तथा पटसन एवं चावल के अधीन क्षेत्रफल और इन वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रमाणित किया है। खेत के आकार तथा फसलों के ढाँचे की बीच भी संबंध रहता है। छोटे किसान बड़े किसानों के सापेक्ष व्यापारिक फसलों के लिये कम क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं। इसका कारण है कि छोटे कृषक सर्व प्रथम अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु खाद्यान्न उत्पन्न करना चाहते हैं। फसल विफलता का जोखिम कम से कम करने की आवश्यकता का भी फसलों के ढाँचे पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः अनेक क्षेत्रों में ज्वार बाजरे आदि मोटे अनाज की खेती के लगातार होने के कारण मुख्यतः वर्षा की अनिश्चता से बचने का प्रयत्न है। सस्य प्रतिरूप, उन्नतशील बीज, रासायनिक उर्वरक, जल संग्रहण, विपणन और परिवर्तन आदि आदानों पर भी निर्भर रहता है। फसल बटाई प्रणाली के अंतर्गत भू-स्वामी को फसलों के चुनाव का प्रमुख अधिकार होता है, परिणाम स्वरूप आय को अधिक करने वाला फसलों का ढाँचा अपनाया जाता है। कार वैधानिक और प्रशासनिक उपायों से फसलों के ढाँचे के निर्धारण पर प्रभाव डाल सकते हैं। कृषकों को कृषिगत आदान और ज्ञान उपलब्ध कराने में सहायक प्रदान कर सकती है।

परिचय


फसली प्रारूप का अर्थ एक समय विशेष पर विभिन्न फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र से है। किसी भी क्षेत्र का फसल प्रारूप ऐतिहासिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारत में फसली प्रारूप विविधता का प्रदर्शन करता है जैसाकि यहां पर स्थलाकृतिक, जलवायविक एवं मृदा वैविध्य है।

भौतिक कारक

इनके अंतर्गत जलवायु, वर्षा, मिट्टी, तापमान इत्यादि कारक आते हैं। भौतिक पर्यावरण कृषि गतिविधियों के वितरण पर सीमाएं आरोपित करता है। जलवायु, मिट्टी, वर्षा तथा तापमान मूलभूत भौतिक कारक हैं जो फसल प्रारूप को प्रभावित करते हैं। इनकी (भौतिक कारक) कृषि संरचना में व्यक्तिगत या सामूहिक भूमिका होती है तथा इनके स्थानिक बदलावों को कभी भी कम नहीं आका जा सकता।



1. **जलवायु:** यह फसल प्रारूप का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु ही यह निर्धारित करती है कि कौन-सी फसल किस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन प्रदान करेगी। एक क्षेत्र की फसल उत्पादन क्षमता मुख्य रूप से वहां की जलवायविक तथा मृदा दशा पर निर्भर करती है। क्योंकि जलवायविक कारक मुख्य रूप से वनस्पति के जीवन पर प्रादेशिक प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ते हैं। उदाहरणार्थ पंजाब की जलवायु तमिलनाडु की जलवायु से भिन्न है जिसके फलस्वरूप दोनों राज्यों का फसल प्रारूप भी भिन्न है।



2. **मिट्टी:** मिट्टी भी फसल प्रारूप का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक मिट्टी में कुछ विशेष गुण होते हैं तथा जो किसी फसल विशेष के उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल होते हैं। इसी तरह किसी क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है तो किसी क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। मृदा वितरण का प्रारूप भूमि उपयोग गहनता और कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करता है जहां यांत्रिक और जैव-रासायनिक खेती उत्पादन तकनीकों का सीमित विकास हुआ हो।[1,2]

3. **वर्षा:** वर्षा फसल प्रारूप का महत्वपूर्ण कारक है। वस्तुतः वर्षा की विभिन्नता भारत की कृषि का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह एकमात्र प्रमुख मौसमी तत्व है जो खेती की अवस्थिति को प्रभावित करता है तथा कृषकों के उद्यम का चुनाव करता है। उदाहरणार्थ, भारत में, जहां कहीं भी प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, वहां चावल एक आम फसल होती है। लेकिन जहां सूखा योजनाबद्ध कृषि में रुकावट उत्पन्न करता है, वहां के किसानों द्वारा शुष्क दशा में होने वाले मक्का की खेती होती है। शुष्क दशाएं किसानों को बाजरा की खेती करने से रोकती हैं।

4. **तापमान:** तापमान पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पौधों के चयापचय की भौतिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यदि तापमान कम व अधिक होगा तो फसल की वृद्धि रुक जायेगी।



गैर-भौतिक कारक

भौतिक कारकों के अतिरिक्त गैर-भौतिक कारकों में सिंचाई, बीज, उर्वरक, खेत का आकार, मिली निर्धारण, सरकार की नीतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक उल्लेखनीय हैं।

1. **सिंचाई:** सिंचाई गैर-भौतिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक है। हम सिंचाई द्वारा वर्षा की कमी की भरपाई कर सकते हैं। नहरों का निर्माण कर हम सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं। सिंचाई सुविधा से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। शुष्क भूमि में, बिना सिंचाई के फसल उगाना असंभव हो जाता है। सिंचाई में हाल के विकास से जलवायु के प्राकृतिक और लाभ तथा मृदा के अवशोषण द्वारा उत्पादन का अंतर्मीसमीस्थायित्व तथा खरीफ, रबी और जायद की कुल पैदावार बढ़ाई जा सकी है। उदाहरणार्थ, हरियाणा-पंजाब मैदान में, सिंचाई भूमि के लिए नहर इत्यादि का निर्माण करने के कारण भूमि उपयोग दक्षता, फसल प्रारूप का आयामीकरण तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बेकार पड़ी भूमि के एक बड़े हिस्से को खेती योग्य भूमि में तब्दील किया गया और विशुद्ध बुआई क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

2. **बीज:** बीजों की गुणवत्ता भी फसल प्रारूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च पैदावार वाले बीजों को बोने से भारत जैसी कृषि-अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। उन्नत बीजों से क्षेत्र-विशेष की उपज को 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। खाद्यान में परिणाम बेहद उत्साहवर्धक रहे, विशेष रूप से चावल, गेहूं और मोटे अनाज में। अब गन्ने, कपास तथा मूंगफली के लिए भी उच्च उत्पादक बीज किस्में प्रस्तुत की गई हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर उच्च उत्पादक बीज किस्मों के इस्तेमाल के कारण गेहूं, गन्ना एवं कपास के उत्पादन में भारी उछाल आया है।

3. **उर्वरक:** उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। जिन क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वहां की कृषि उपज में वृद्धि होती है।

4. **खेत का आकार:** खेत का आकार भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कृषक की आय का निर्धारण करने वाला मापक भी है। इसी के आकार के आधार पर किसान की जोखिम लेने की क्षमता का पता लगता है। जोत का आकार कृषक के जोखिम उठाने की सीमा का निर्धारण करता है। बड़े जोत आकार का मालिक जोखिम सहन करने की उच्च क्षमता रखता है। इसके परिणामस्वरूप यह विशेषीकरण की मात्रा को प्रभावित करेगा तथा उपकरणों तथा बिजली की मात्रा के प्रयोग को भी प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त, जोत के आकार जनसंख्या दबाव, आर्थिक आवश्यकताओं और भूमि उर्वरता से सम्बद्ध होता है।[3,4]

5. **कीमत प्रोत्साहन:** कृषि उत्पादों की कीमतों में बदलाव कृषि में अनिश्चितता और जोखिम का एक मुख्य कारण है। कई मौकों पर, कीमत ने ही कृषकों की फसल सम्मिलन के बारे में निर्णय को बाध्य किया है। कुछ कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि, आगामी वर्षों में इन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करेगी। यदि फसल कीमतों की वृद्धि में एकरूपता की कमी होती है और यह अस्थायी प्रकृति की है, तो कृषक न्यायसंगत पुर्नआबंटन के बारे में आशावान नहीं होगा। प्रतिकूल कीमत ढांचा सुस्थापित फसल सम्मिलन को ध्वस्त कर सकता है।

6. **सरकार की नीति:** सरकार फसल प्रारूप को परिवर्तित कर सकती है। सरकार चाहे तो किसी फसल-विशेष को किसी क्षेत्र-विशेष में उपजाने पर सब्सिडी प्रदान कर अथवा विशेष सहायता प्रदान कर कृषकों को प्रोत्साहित कर सकती है।

7. **अंतरराष्ट्रीय कारक:** कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय कीमत संचलन और विभिन्न देशों की आयात-निर्यात नीति तथा इनके परिणामस्वरूप उनके घरेलू राजस्व नीति में परिवर्तन भी फसल प्रारूप को प्रभावित करते हैं। कॉफी, चाय, रबड़ इत्यादि की



आपूर्ति में बेतहाशा वृद्धि, इनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतों को कम कर सकती है, जिसके परिणाम के तौर पर इनके उत्पादन क्षेत्र में तीव्र कमी आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के विस्तार एवं संकुचन से भी विभिन्न फसलों हेतु भूमि आवंटन प्रभावित होता है।



विचार - विमर्श

हरित क्रांति (1960) से लेकर विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक, भारत कृषि प्रौद्योगिकी में लगातार विकास कर रहा है। हालांकि, भारतीय किसानों में से केवल एक तिहाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई है। शेष कृषि नवाचारों और खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं हैं जो उच्च फसल पैदावार और गुणवत्ता का कारण बन सकते हैं।

एक कृषि देश होने के नाते, भारत विकास के उस स्तर तक पहुंच गया है जहां यह 'सदाबहार क्रांति' की मांग करता है, यानी कम प्राकृतिक संसाधन (पानी, जमीन और ऊर्जा) के साथ अधिक उत्पादन करना। इस पोस्ट में, हम 5 तकनीकों या रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो भारत में कृषि उत्पादकता में सुधार ला सकते हैं।

1. मृदा स्वास्थ्य संवर्धन

मृदा स्वास्थ्य को मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक कार्यों की अनुकूलतम स्थिति के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। कुछ स्मार्ट दृष्टिकोण और उन्नत तकनीकों के साथ, मिट्टी की जैविक प्रजनन क्षमता को बनाए रखते हुए इसकी कार्बनिक पदार्थ में सुधार करना आसान है। मृदा स्वास्थ्य वृद्धि तकनीकों का उद्देश्य पौधों की उत्पादकता में सुधार करना और पोषक तत्वों के कृषि संबंधी उपयोग की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है।

आप कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं:

- मिट्टी की संघनन से बचें
- टिलेज कम करें



- कवर फसलों को बढ़ाएं
- फसल रोटेशन पर ध्यान केंद्रित करें
- कार्बनिक संशोधन का प्रयोग करें

जब आप रचनात्मक रूप से तकनीकों की उचित संख्या का पालन करते हैं, तो आपकी अधिकांश मिट्टी की स्वास्थ्य समस्याओं को हल किया जा सकता है।[5,6]



2. सिंचाई जल आपूर्ति बढ़ाना और प्रबंधन

भारत में, जल वितरण अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और स्थानीय समुदायों में पानी झगड़े का कारण बन सकता है। यदि आप सीमित पानी की आपूर्ति वाले रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप पौधे कैसे विकसित करेंगे?

शुरुआती फसल के विकास के दौरान पानी की कमी से उत्पादन में कमी या पूरे उत्पादन की विफलता हो सकती है। बढ़ते मौसम के दौरान फसल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त पानी की आपूर्ति कृत्रिम रूप से की जानी चाहिए। सिंचाई जल आपूर्ति संवर्द्धन और वर्षा जल संचयन की स्थापना करके, आप फसल के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं। इस तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य जल आपूर्ति को नियंत्रित करना और स्मार्टफोन का उपयोग करके पौधों का निरीक्षण करना है।

इसके अलावा, बेहतर सिंचाई प्रथाओं जैसे सिंचन और ड्रिप सिंचाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समुद्री जल के खेती को तटीय क्षेत्रों में भी सैलिकोमिया, कैसुरिनस, मैंग्रोव, और अन्य प्रासांगिक हेलोफीटिक पौधों की प्रगति के माध्यम से खेती की जरूरत है।

3. क्रेडिट और बीमा

उधार ब्याज दरों और जमा के बीच का मूल्य भारत में अधिक है। लेकिन, क्रेडिट सुधार के साथ छोटे खेतों की उत्पादकता में वृद्धि करना आसान है। विचार लेनदेन और जोखिम लागत को नियंत्रित करते समय वित्तीय वितरण प्रणाली में दक्षता को बढ़ावा



देने की आवश्यकता हैं। यहां, निरंतर सूखे, बाढ़ और भारी कीट उपद्रव के मामले में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाने चाहिए।

किसानों को धन उधारदाताओं के प्रभुत्व से बचाने के लिए, पर्याप्त क्रेडिट सुविधाएं, और कृषि-जोखिम कोष ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्रीय और राज्य सरकारों को बैंकिंग प्रणाली को समर्थन देना होगा जो अंततः फसल ऋण के लिए ब्याज दर को कम करेगा और पौधों की उत्पादकता में सुधार करेगा। इसके अलावा, सहकारी ऋण समितियों और भूमि बंधक बैंकों को किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।



4. उन्नत प्रौद्योगिकी

किसानों के शोषण की रक्षा के लिए, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे देश में किसान को आर्थिक कीमतों पर गुणवत्ता इनपुट प्रदान किया जाना चाहिए।

भारत के किसानों को इन 3 उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए:

- एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के एक दर्जन गांवों के किसानों ने फसल पैदावार को बढ़ावा देने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग शुरू कर दिया है। मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी करने और कटाई जैसे अन्य कृषि कार्यों को करने के लिए कृषि रोबोट भी विकसित किए जा रहे हैं। मशीन लर्निंग मॉडल मौसम परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को विश्लेषण और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं।
- ऑटोपिलॉट ट्रैक्टर: जैसा कि नाम इंगित करता है, यह एक स्वायत्त फार्म वाहन है जो कृषि कार्यों को करने के लिए धीमी गति से उच्च ट्रैक्टिव प्रयास प्रदान करता है। जीपीएस तकनीक के आधार पर, इस प्रकार के ट्रैक्टरों को स्वायत्तता से अपनी स्थिति को ट्रैक करते हैं, गति निर्धारित करते हैं और कई कृषि सम्बंधित कार्य जैसे कि टिलेज करते समय बाधाओं से बचते हैं।
- फसल सेंसर: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की मदद से आवश्यक मिट्टी के गुणों को मापने के लिए ऐसे सेंसर का उपयोग किया जाता है। फसल सेंसर का उपयोग वास्तविक समय में परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग उपकरण को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। एक उन्नत कृषि प्रणाली अभिविन्यास को अपनाने के दौरान किसान उत्पादन और बाढ़ में फसल प्रौद्योगिकियों के बीच उचित संतुलन रख सकते हैं।[7,8]

5. कृषि शिक्षा

भारतीय किसान नई और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने में अच्छे हैं। लेकिन, वे आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत नहीं हैं। नई तकनीक को अपनाने के संबंध में किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए, कई शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इन सभी पहलों से किसानों को उचित फसल-देखभाल करने में सहायता मिलेगी जो आखिरकार फसल उत्पादकता को बढ़ावा देगा।

उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न देशों में कई कृषि व्यापार प्रदर्शनी और कृषि मेले आयोजित किए जाते हैं जहां निवेशक और अन्य तकनीकी-आधारित कंपनियां आम जनता को अपने विचार और उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन करती हैं। मिसाल के तौर पर, सबसे बड़ी कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में से एक – एग्री टेक ताइवान में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में, कृषि में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत की जाएंगी और अग्रणी कृषि कंपनियां और आविष्कारक दुनिया के लिए अपने अभिनव विचार पेश करेंगे।



आज, भारत को खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण निवेश करने की जरूरत है। भारतीय कृषि में उच्च मूल्यवर्धन के साथ, कई निवेशक और कृषि कंपनियां भी भारत में कृषि व्यवसाय को बदलने के लिए तैयार हैं। इस अतिरिक्त, सभी भारतीय किसानों और निवेशकों को सिर्फ कृषि में विविधीकरण के बारे में पता होना चाहिए।

यदि आप एशिया के सबसे बड़े कृषि-प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी – एग्री टेक की यात्रा करना चाहते हैं, तो यहां पंजीकरण करें और आधुनिक कृषि तकनीक से अवगत रहें। याद रखें, भारत में अभिनव विचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पर निष्पादित करने के लिए पर्याप्त लोगों की कमी है।

आशय

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा, 2020-21 पेश करते हुए कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के समय में भी अपनी उपयोगिता और लचीलेपन को साबित किया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र और संबंधित गतिविधियों ने वर्ष 2020-21 (पहला अग्रिम अनुमान) के दौरान स्थिर मूल्यों पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

मुख्य सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा 29 मई, 2020 को पेश किए गए राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों के आधार पर आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019-20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में कृषि और संबंधित गतिविधियों का योगदान 17.8 प्रतिशत रहा है।



रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन

2019-20 में कृषि क्षेत्र की आर्थिक समीक्षा (चौथे अग्रिम अनुमान) के अनुसार देश में 296.65 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जबकि 2018-19 में 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्तमान सत्र में 11.44 मिलियन टन अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।



कृषि निर्यात

वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का कृषि और संबंधित वस्तु निर्यात लगभग 252 हजार करोड़ रुपये का हुआ। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश को किया गया। भारत की ओर से दूसरे देशों को भेजी जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मछलियां और समुद्री संपदा, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, साधारण चावल, कच्चा कपास, तेल, चीनी, अरंडी का तेल और चाय की पत्ती शामिल हैं। कृषि आधारित और संबंधित वस्तुओं के निर्यात में भारत की स्थिति विश्व स्तर पर अग्रणी रही है। इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 2.5 प्रतिशत निर्यात भारत से ही किया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 के बजट में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की वास्तविक लागत का डेढ़ गुना रखने की घोषणा की गई थी। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए भारत सरकार द्वारा 2020-21 सत्र में खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है।

कृषि सुधार

हालिया कृषि सुधारों पर आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि तीन नए कानूनों को छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ऐसे कृषकों की संख्या देश के कुल किसानों में लगभग 85 प्रतिशत है और इनकी फसलें एपीएमसी आधारित बाजारों में विक्रय की जाती है। नए कृषि कानूनों के लागू होने से किसानों को बाजार के प्रतिबन्धों से



आजादी मिलेगी और कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। इससे भारत के किसानों को अधिक लाभ होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।[9,10]



आत्मनिर्भर भारत अभियान

आर्थिक समीक्षा कहती है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत कृषि और खाद्य प्रबंधन क्षेत्र में अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कृषि ढांचा निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि सुनिश्चित की गई। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणों (एमएफई) की स्थापना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए 20 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशुपालन ढांचा निर्माण विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई। इनके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि विपणन और कृषि उत्पाद मूल्य तथा गुणवत्ता; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना; और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी योजनाएं शुरु की गईं।

कृषि ऋण

आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। किसानों की कृषि संबंधी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय पर ऋण की उपलब्धता को प्रमुखता दी गई। वर्ष 2019-20 में 13 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण निर्धारित किया गया था जबकि किसानों को 13,92,469.81 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया जो कि निर्धारित सीमा से काफी अधिक था। 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। 30 नवंबर, 2020 तक 9,73,517.80 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में कृषि ढांचा विनिर्माण कोष के तहत दिया जाने वाला ऋण कृषि क्षेत्र को और अधिक लाभ पहुंचाएगा।


आर्थिक समीक्षा के अनुसार फरवरी 2020 में बजट की घोषणाओं के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में डेढ़ करोड़ दुग्ध डेयरी उत्पादकों और दुग्ध निर्माता कंपनियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। आंकड़ों के अनुसार मध्य जनवरी, 2021 तक



कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछुआरों और मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराए गए थे जबकि इनके अतिरिक्त मछुआरों और मत्स्य पालकों के 4.04 लाख आवेदन बैंकों में कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) मील का पत्थर साबित हुई है। इसमें देश के किसानों को न्यूनतम प्रीमियम राशि पर फसलों का बीमा प्रदान किया जाता है। पीएमएफबीवाई के तहत साल दर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा आवेदनों को स्वीकार कर किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 12 जनवरी, 2021 तक 90 हजार करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। आधार की वजह से किसानों को तेजी से भुगतान हुआ है और दावे की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई गई है। मौजूदा कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला है और लाभार्थियों के बैंक खातों में 8741.30 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।



प्रधानमंत्री किसान योजना

आर्थिक समीक्षा कहती है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सातवीं किस्त के रूप में दिसंबर, 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई।

पशुधन क्षेत्र

पशुधन क्षेत्र की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2014-15 के मुकाबले 2018-19 में पशुधन के क्षेत्र में संयुक्त वार्षिक विकास दर के आधार पर 8.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र और संबंधित गतिविधियों वाले क्षेत्रों के सकल मूल्य संवर्धन पर आधारित नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स (एनएएस) 2020 के अनुसार पशुधन की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। सकल मूल्य संवर्धन में (स्थिर मूल्य पर) पशुधन का योगदान लगातार बढ़ रहा है। 2014-15 में यह 24.32 प्रतिशत था जबकि 2018-19 में 28.63 प्रतिशत दर्ज किया गया। 2018-19 के सकल मूल्य संवर्धन में पशुधन की हिस्सेदारी 4.19 प्रतिशत रही।

मत्स्य पालन

आर्थिक समीक्षा में जानकारी दी गई है कि भारत का मत्स्य उत्पादन इतिहास में अबतक का सर्वाधिक रहा है। 2019-20 में 14.16 मिलियन मिट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने मत्स्य क्षेत्र में 2,12,915 करोड़



रुपये की हिस्सेदारी दर्ज की है। यह कुल राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन का 1.24 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन का 7.28 प्रतिशत है।[11]

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न का वितरण दो चैनलों के माध्यम से किया गया। ये हैं - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई)। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और ये सभी एनएफएसए के अंतर्गत मासिक आधार पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) की शुरुआत की थी। जिसके तहत लक्षित जनवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति मुफ्त प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई। (इनमें अंत्योदय अन्य योजना और प्राथमिकता दिए जाने वाले नागरिक शामिल हैं।) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर 2020 तक प्रतिव्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न देने की व्यवस्था के तहत 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। इस दौरान 75000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 200 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज का वितरण किया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत चार महीनों तक (मई से अगस्त के बीच) प्रतिव्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, जिससे उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिला जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर राज्य राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, जिसकी सब्सिडी लागत लगभग 3109 करोड़ रुपये थी।

भारत-डच संयुक्त कृषि कार्य योजना



वर्ष 2019-20 में भारत ने रिकॉर्ड 319.57 मिलियन टन बागवानी उत्पादन किया

केरल में सब्जियों, फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारम्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018-19 तक बीते पांच वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) पर 9.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। 2011-12 से कृषि क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 3.12 प्रतिशत रही है और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 8.25 प्रतिशत रही है।

परिणाम

महामारी का कर्व गांवों में कभी समतल नहीं हुआ। कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर के सुदूर इलाकों में पहुंचते ही विशेषज्ञ देश की लगभग 50 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी के दुष्चक्र में फंसने की आशंका जता रहे हैं। पिछले एक साल से महामारी पूरी दुनिया को तबाह कर रही है और तब से ही ग्रामीण भारतीय, जो अधिकतर असंगठित मजदूर हैं और हर परिभाषा के हिसाब से गरीब हैं, को नियमित रोजगार नहीं मिला है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण



के मामले अधिक आ रहे हैं तो उनके लिए आर्थिक संकट और बढ़ गया है। साथ ही, बीमारी के इलाज पर हो रहे खर्च ने उनकी आमदनी व बचत को नुकसान पहुंचाया है।

एक स्वतंत्र रिसर्च संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, इस बार ग्रामीण इलाकों से भी नौकरियों के जाने और बेरोजगारी बढ़ने की बात सामने आ रही है, जबकि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। सीएमआईई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जून 2020 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर ऐतिहासिक स्तर पर थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 16 मई 2021 को समाप्त सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जून 2020 के लगभग बराबर थी। लेकिन इस बार खास बात यह रही कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 14.71 फीसदी थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में 14.34 फीसदी थी। मई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मासिक बुलेटिन में कहा गया, “महामारी की वजह से श्रम भागीदारी दर में गिरावट आई है। यह 2019-20 में 42.7 प्रतिशत थी। अब वह गिरकर 39.9 फीसदी पहुंच चुकी है।”[12]



बेरोजगारी दर के इस उच्च स्तर (खासकर ग्रामीण क्षेत्र में) को बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के सेंटर फॉर डेवलपमेंट के विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा कहते हैं, “2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल के मुकाबले सबसे अधिक थी, लेकिन कोविड-19 ने इसे और बढ़ा दिया है।” अलग-अलग अनुमान बताते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने असंगठित क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मेहरोत्रा कहते हैं कि इस लहर में किसानों और खेतिहर मजदूरों के संक्रमित होने के कारण ग्रामीण सप्लाय चैन पर असर पड़ा, ऐसा पहली लहर के दौरान नहीं हुआ था। हालांकि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन नहीं था, लेकिन सभी राज्यों ने आवागमन और गतिविधियों पर पाबंदी लगाई। पिछले साल की तरह सख्ती नहीं थी, लेकिन राज्यों ने अपने-अपने राज्य और जिलों की



परिस्थितियों के हिसाब से पाबंदियां लगाईं।

गौर करने वाली बात है कि लगभग 50 प्रतिशत भारतीयों को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 की पहली लहर में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में इस पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बात है तो लगभग 60 फीसदी लोग अब भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। लेकिन यह कार्य बल ग्रामीण क्षेत्र की कुल आमदनी का केवल एक चौथाई ही कमा पाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर आबादी की आमदनी काफी कम है। महामारी के इस दौर में रबी सीजन के दौरान ऐसा साफ तौर पर देखने में भी आ रहा है और आने वाले खरीफ सीजन में भी इसका असर देखा जा सकता है।

किसानों ने बड़े उत्साह से रबी सीजन के फसलों की बुवाई की थी, लेकिन जैसे ही अप्रैल 2021 में इन फसलों की कटाई और बिक्री का समय आया, एक बार फिर से कोरोनावायरस संक्रमण तेजी से फैला और राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन की कार्रवाई शुरू कर दी, इसके चलते मंडियां और थोक बाजार बंद हो गए और किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए। परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण लगभग सभी इलाकों में किसान अपनी फसल मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए।



पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन था और पाबंदियां भी काफी सख्त थी, इसके बावजूद गांव की स्थानीय मंडियों में किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। इसका कारण यह था कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की दर बहुत ही कम थी और ग्रामीण अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर पा रहे थे। गेहूं की सबसे अधिक खरीद करने वाले पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उठान का काम भी पूरी तरह से हो गया था। लगभग यही स्थिति गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिली। लेकिन अगर 1 से 20 मई 2021 के गेहूं आवक के आंकड़ों की तुलना पिछले साल के इसी अवधि से की जाए तो निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। सरकारी पोर्टल एग मार्केट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में पिछले साल 1 से 20 मई की तुलना में इस साल लगभग 23 लाख टन (77 फीसदी) गेहूं की आवक कम हुई। उत्तर प्रदेश में यह कमी लगभग 36 प्रतिशत की है।

किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए वेयरहाउस और फाइनैस उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म आर्या के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं को-फाउंडर प्रसन्ना राव कहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 50 फीसदी गेहूं अलग-अलग जगह फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में लगभग 76 प्रतिशत सोयाबीन की आवक में कमी आई है। वह कहते हैं कि फसलों व जिनसों की भारी आवक की वजह से हमारे लिए मई माह बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान इस बार अपनी फसल बेचने में सफल नहीं हो पाए जो उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा। [8,9]

महाराष्ट्र में प्याज रबी सीजन की फसल है, लेकिन किसान इसे बेच नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि एशिया की सबसे बड़ी लासलगांव प्याज मंडी लगभग 25 दिन तक बंद रही। हालांकि प्याज लंबे समय तक रहने वाली फसल है, इसके बावजूद बेमौसम बारिश के कारण प्याज में फंगस लग गई, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी। किसान एवं महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन के सदस्य भारत दिघोले कहते हैं कि राज्य के लगभग 40 फीसदी प्याज किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं। इसके चलते उनके पास अगली फसल के लिए न तो बीज का पैसा है और न ही खाद का। किसान अगली फसल के रूप में गन्ना, सोयाबीन और गोभी लगाएंगे, लेकिन इस समय किसानों के पास नगदी ही नहीं है। किसानों की दूसरी चिंता यह है कि जैसे ही मंडी खुलेगी तो आवक में एकदम से तेजी आएगी, जिससे कीमतें काफी कम हो जाएंगी।



यह सीजन बागवानी फसलों का भी है जैसे लीची और आम। पश्चिम बंगाल के मालदा इलाका आम के लिए जाना जाता है। यहां के आम के उत्पादक किसानों के लिए मौसम बहुत अच्छा रहा जिस वजह से इस बार आम का बंपर उत्पादन हुआ है। इस जिले में लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आम लगाया जाता है और फजली, हिमसागर और लक्ष्मणभोग, आम्रपाली सहित आम की दर्जनों प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं। यहां से नजदीकी राज्य बिहार झारखंड, असम, त्रिपुरा में आम की आपूर्ति की जाती है। लेकिन जैसे ही आम तोड़ने का पीक सीजन आया, कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो गई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जून में लगभग 3.50 लाख टन फल पककर तैयार हो गया।

मालदा में मर्चेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल साहा कहते हैं कि जून में मालदा वैरायटी का कई प्रमुख मंडियों में इंतजार किया जाता है। उत्पादन के समय में किसानों को आमों का खास खयाल रखना पड़ता है और कीड़ों और फंगल के संक्रमण से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के डर से प्रशिक्षित मजदूर बागानों में आने से इनकार करते रहे। आशंका है कि इससे आम की गुणवत्ता प्रभावित हुई और बिक्री पर असर पड़ा।



इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब-ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, मालदा से जुड़े दीपक मंडल कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से अंतरराज्यीय परिवहन पर पूरी तरह पाबंदी लग गई। इसलिए दूसरे राज्यों में आम भेजने का काम पूरी तरह रुका रहा। उनका आकलन है कि पिछले साल की पाबंदियों और अफान चक्रवात की वजह से मालदा के किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और कोविड-19 की दूसरी लहर ने यहां के किसानों की चिंता और बढ़ा दी है।[6,7]

हालांकि कोविड-19 के मामले और मौतों के बढ़ने के बावजूद यह उम्मीद जताई जा रही है कि कृषि क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि साल 2021 में मॉनसून सामान्य रहेगा। मेहरोत्रा कहते हैं कि यह सही है कि इस बार मॉनसून अच्छा होगा, फिर भी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा, जितना पिछले साल रहा था। यदि लोग बीमार हैं तो वे काम करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से शहरों से लौटे मजदूर हालात सामान्य होने के बाद फिर से शहर चले गए थे। दूसरी लहर में शहरों में काम न होने पर ये मजदूर पिछले साल की तरह लौट तो आए हैं, लेकिन हालात पिछले साल से ज्यादा खराब हैं।

यह बात पंजाब-हरियाणा जैसे राज्य में सच दिखती है। पिछले साल जो खेतिहर मजदूर अपने गांव लौट गए थे, ठेकेदार खुद से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके उन्हें वापस काम पर ले आए थे। लेकिन यह स्थिति तब ही संभव है, जब ये मजदूर कोविड-19 के संक्रमण से बचे हुए हों और सेहतमंद हों। यहां एक और बात गौर करने लायक है कि कोविड-19 खासकर दूसरी लहर के बाद खेती में महिलाओं की हिस्सेदारी कम दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि बुआई के वक्त खेतों में महिलाओं की हिस्सेदारी 80 फीसदी के आसपास रहती है। एक गैर लाभकारी औद्योगिक संगठन रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक प्रदीप कश्यप कहते हैं कि जैसे ही ग्रामीण भारत में कोरोनावायरस संक्रमण की दर बढ़ने लगी, हमने देखा कि खेती में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होने लगी। या तो ये महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल में जुट गईं या इसलिए काम पर नहीं आईं, ताकि स्वस्थ रह कर वे अपने परिवार वालों की देखभाल कर सकें।

खेती की नई तकनीक

किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

बीजोपचार
है उद्देश्य हमारा
फसलों का रोगों से छुटकारा

बीजोपचार

स्वस्थ फसलें

हर बीज
को सुरक्षा
का टीका

जैसे की हर बच्चे को
पोलियो का टीका

गेहूँ, सरसों एवं चने के बीज को सुरक्षा का टीका

बीजोपचार: स्वस्थ फसलों का आवश्यक आधार

रबी की मुख्य फसलें जैसे गेहूँ, सरसों, चना, धान तमी दलहन फसलें व मूंगफली में बीज एवं भ्रूजनिता रोग फसल की विभिन्न अवस्थाओं में आक्रमण करके फसलों को बहुत हानि पहुँचाते हैं, जिससे अंकुरण कम हो जाता है एवं उपज घट जाती है और किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या के निवारण के लिये बीज उपचार करना अति आवश्यक है।

उपचारित बीज

बीजोपचार विधि :

बीजोपचार, बीज उपचारित ड्रम द्वारा करें वा सबसे पहले बीज को नील कट ड्रम में डालें। फिर सिंक्रिये की नई माजकदार दवा को बीज के ऊपर डालें तथा ड्रम को लगातार घिताने जब तक दवा पूरी तरह से बीज में चिपक ना जाए।

बीज उपचारित ड्रम द्वारा

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

केन्द्रिय अथवा राज्य सरकार निकटतम केन्द्रिय / प्रांतीय कृषि रसा केन्द्र / कार्यालय के कृषि विभाग या किसान कॉल सेंटर - 1551

www.agricoop.nic.in



इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) ने 20 मई को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से कृषि उत्पादन, राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। फिच समूह की कंपनी इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा ने एक बयान में कहा कि ग्रामीण भारत के लिए यह समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन नीतियों में सुधार न के बराबर है। हम लोग शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही, ग्रामीण भारत में वेतनभोगी लोगों की नौकरियां जाने से कई सेक्टरों पर असर पड़ेगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (आईएन-डीआरए) का कहना है कि ग्रामीण भारत में मांग में कमी आने के कारण कोरोना की दूसरी लहर का भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसके जल्दी पटरी पर आने की संभावना भी कम है। पहली लहर के दौरान ग्रामाणों द्वारा उपभोग पर किए गए खर्च की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 2021 के शुरुआती महीनों तक ग्रामीण इलाकों में संक्रमण काफी कम था।

लेकिन दूसरी लहर के दौरान देश के आधे से अधिक ग्रामीण जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से अधिक होने के कारण ग्रामीण परिवारों द्वारा खर्च कम किए जाने के कारण हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसा तब है, जबकि कृषि उत्पादन और आमदनी पिछले साल जैसी ही है। इस तरह की प्रवृत्ति देखने में आती रही है कि बीमारी के डर से लोग अपना खर्च कम कर देते हैं। एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंसलटेंट अभिरूप भुनिया कहते हैं कि इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और खपत कम होने के कारण हमें काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों की मांग ने हमें बचाया था। इस बार हालात ऐसे हैं कि बीमारी के कारण इलाज पर खर्च काफी बढ़ गया, जिस वजह से ग्रामीणों को दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ी।[5,6]

भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 27.1 फीसदी है, जबकि 62.4 प्रतिशत खर्च लोगों की ओर से किया जाता है। भुनिया कहते हैं कि यही वजह है कि लोगों ने इलाज पर हो रहे भारी खर्च को देखते हुए उपभोग पर किए जाने वाले खर्च में कमी कर दी। इलाज पर हुए भारी खर्च की वजह से उन्हें कर्ज तक लेना पड़ा। इलाज के लिए लिया जाने वाला कर्ज दूसरे कर्जों से अलग होता है। आईएन-डीआरए का कहना है, “चूंकि यह कर्ज बीमार के इलाज के लिए लिया जाता है और बीमारी व्यक्ति के काम करने की क्षमता को भी सीमित कर देती है। इससे घरेलू बचत में कमी आती है और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।”



हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पंचकूला में कृषि विभाग की फसल तुड़ाई के बाद प्रबंधन संबंधी जानकारी से युक्त पुस्तिका का लोकार्पण करते हुए। साथ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, श्री ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल, बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह दिखाई दे रहे हैं। (11.06.2021)



यह भारी भरकम खर्च लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) की ओर पहुंचा सकता है। मेहरोत्रा कहते हैं कि एक दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की जितनी संख्या थी, इसमें लगभग 10 फीसदी इजाफा हो सकता है। 2012 में भारत में कुल ग्रामीण आबादी में से 26 फीसदी गरीब थे। इस साल इसमें लगभग 10 फीसदी का इजाफा हो सकता है। जब गरीबी इस दर से बढ़ती है तो मांग में कमी होने की पूरी आशंका है। और अगर ऐसा होता है तो संगठित क्षेत्र भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन अगर गरीबी बढ़ती है और मजदूरी कम होती है तो मांग पर असर पड़ता है।

यह संगठित क्षेत्र के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। इसका मतलब यह है कि निवेश कम हो जाएगा और अगले 3 से 5 साल के दौरान जीडीपी 5 प्रतिशत से नीचे रह सकती है। कश्यप कहते हैं कि 2020 में लॉकडाउन के बाद शहरों में काम न होने के लोग प्रवासी अपने घर लौट गए थे। गांव पहुंचते ही उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) का काम मिल गया। जबकि उनके पास कुछ बचत का पैसा था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन खुलने के बाद प्रवासी शहरों में वापस तो आए, लेकिन उन्हें शहरों में भरपूर काम नहीं मिला। कोरोना की दूसरी लहर के कारण जब वे गांव लौटे तो उन्हें गांव में भी काम नहीं मिला।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार की स्वायत्तशासी संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ (आईआईजी) के प्रोफेसर प्रभाकर साहू कहते हैं कि इस समय देश में लगभग 29 खरब रुपए सर्कुलेशन (चलन) में हैं। जो नोटबंदी के दौरान बंद हुई राशि के मुकाबले लगभग दोगुना है। जब नौकरियां और आमदनी कम हो रही है तो फिर इतने पैसे की क्या जरूरत है? साहू कहते हैं कि यह निराशा में निकाला गया पैसा है। वह कहते हैं कि लोग अब पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी आय कम हो रही है और वे अपनी बचत पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। यह बुरा संकेत है। इससे उपभोग का स्तर नीचे जाएगा।

पंचवर्षीय योजना	अवधि	प्राथमिकता/उद्देश्य	लक्ष्य की दर	प्राप्ति की दर
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951 - 1956	कृषि/सिंचाई	2.1	3.0
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956 - 1961	औद्योगिकरण	4	4.27
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961 - 1966	गतिमान एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था	5.6	2.4
चौथी पंचवर्षीय योजना	1969 - 1974	कृषि/आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति	5.6	3.3
पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1974 - 1979	गरीबी उन्मूलन	4.4	4.8
छठी पंचवर्षीय योजना	1980 - 1985	कृषि/उद्योग/रोजगार सृजन	5.2	5.4
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985 - 1990	खाद्य एवं ऊर्जा	5.0	6.0
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992 - 1997	मानव संसाधन का विकास	5.6	6.8
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997 - 2002	सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक संवृद्धि	7.0	5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002 - 2007	रोजगार एवं ऊर्जा	7.9	7.7
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना	2007 - 2012	तीव्रतम समावेशी विकास	8	7.7
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	2012 - 2017	तीव्र एवं सतत समावेशी विकास	9	7.9



देश की जीडीपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कुल हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत का है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी एक तिहाई है, जबकि शेष हिस्सा गैर कृषि संबंधी कार्यों का है, जिसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि गैर कृषि क्षेत्र लगभग बंद पड़ा है। खेतीबाड़ी में मजदूरों की संख्या भी काफी कम है। मनरेगा भी काम की सारी मांग को पूरा नहीं कर सकता। आईईजी के प्रोफेसर अरूप मित्रा कहते हैं कि इस बार कोविड-19 गांव में अपनी पूरी पैठ बना रहा है जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए स्वस्थ श्रमिकों का अभाव देखने को मिल रहा है। [10,11] कोविड-19 का जो असर लोगों की आमदनी और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, वह किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे अलनीनो और सूखे से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर गैर कृषि कार्य, जैसे ऑटो रिक्शा, साइकिल, ट्रैक्टर आदि की रिपेयरिंग, भवन निर्माण, परिवहन और स्टोरेज जैसे कामों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। लेकिन इस बार ये काम लगभग ठप पड़े हैं। यही वजह है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी के दोनों कार्यों- कृषि व गैर कृषि गतिविधियों से होने वाली आमदनी में गिरावट आई है।

आईएन-डीआरए के मुताबिक, अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान औसत कृषि मजदूरी में 8.5 प्रतिशत हुई वृद्धि थी, जो नवंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई। इसी तरह गैर कृषि गतिविधियों से मिलने वाली मजदूरी में भी गिरावट आई। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के दौरान गैर कृषि औसत मजदूरी में वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही, जो अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान 9.1 प्रतिशत थी।



उल्लेखनीय है कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्र में महामारी का असर कम होने के बावजूद केंद्र सरकार ने कई तरह की घोषणा की थी, लेकिन इस साल इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की गई। साहू कहते हैं कि बेशक पिछले साल की गई घोषणाएं पूरी तरह सही नहीं थी, फिर भी इसने कुछ तो सकारात्मक असर दिखाया था। यहां तक कि सूक्ष्म, लघु और मझोले दर्ज (एमएसएमई) की औद्योगिक इकाइयों को पिछले साल काफी राहत मिली थी और लॉकडाउन खुलने के बाद काम शुरू हो गया था, लेकिन इस साल अब तक कोई घोषणा नहीं की गई। वह कहते हैं कि पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को लोन सहित कई तरह की राहतें प्रदान की गई थी, लेकिन अब जब बाजार में मांग नहीं है और ये उद्योग चल नहीं पा रहे हैं तो सरकार की ओर से कोई राहत प्रदान नहीं की जा रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में रह रहे कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए। मित्रा कहते हैं कि शहरों में असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे



लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आने वाले समय में असमानता बढ़ेगी, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। मेहरोत्रा कहते हैं कि मनरेगा की तरह शहरों में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिन जाने की जरूरत है। वह कहते हैं कि ऐसे समय में कमजोर आय वर्ग के लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी और नकद हस्तांतरण की भी जरूरत है। मेहरोत्रा कहते हैं, “शहरों में यदि रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाती है तो इससे मनरेगा का बोझ कम होगा और शहरी मजदूरों को शहरों में ही रोका जा सकेगा।”[11,12]

संदर्भ

- 1) भारतीय कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी [2001]
- 2) भारत का कृषि विज्ञान और कृषि दर्शन [2000]
- 3) भारतीय कृषि: चुनौती की ओर [2011]
- 4) भारतीय कृषि को पुनर्भाषित करने की जरूरत—सुनील अमर [2005]
- 5) Indian Agriculture. U.S. Library of Congress.[2008]
- 6) Indian Council for Agricultural Research Home Page [google]
- 7) Website of The Indian Farmers Association [google]
- 8) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण [2012]
- 9) Commodity Research, Food and Agribusiness, Commodity News and Analysis (in English) (based in India) [2013]
- 10) Agropedia - One Stop Shop For All Kinds Of Information On Agriculture In India [2011]
- 11) Agriculture Commodity Market News - Agri Commodity News, Rates, Daily Trading Prices, The Trade News Agency NNS - Daily commodity prices of Agricultural and Agri based Commodities from different Markets of India. Indian Agriculture Industry business to business (b2b) News and Directory (in English) (based in India) [2003]
- 12) अच्छी बारिश ने बढ़ाई बंपर फसल की उम्मीद [2017]



INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor:
5.928

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY



9710 583 466



9710 583 466



ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com